

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल, ब्लाक-4, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 2) / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2016

नया रायपुर, दिनांक 15-02-2016

तकनीकी परिपत्र क्रमांक 02/2016

शासन के पत्र दिनांक 24.08.2012 द्वारा निविदाओं में ठेकेदारों के पात्रता निर्धारण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में शासन से छूट प्राप्त की जाती है। ऐसे प्राप्त किये गये छूट का अधिकतम लाभ लेने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. आन-लाईन निविदा आमंत्रण की सूचना समाचार पत्रों में देते समय अनिवार्य रूप से उक्त निविदा में शासन से प्राप्त छूट के अनुसार निविदाकारों की पात्रता की सूचना दी जावे। निविदा आमंत्रण सूचना के प्रथम पृष्ठ पर कार्य के विवरण के ठीक नीचे भी इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावे।
2. कार्यपालन अभियंताओं द्वारा निविदाओं में शासन के पत्र दिनांक 24.08.2012 को यथाजारी शामिल किया जा रहा है। यह उचित एवं मान्य नहीं है। जिस कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गई हो, केवल उसी कार्य के अर्हता से संबंधित शर्तों का उल्लेख निविदा सूचना में किया जावे।
3. न्यूनतम अर्हता में शासन से छूट प्राप्त होने पर केवल उसी कार्य की निविदा आमंत्रित की जावे जिससे छूट प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति हो। इसके साथ अन्य कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जावे।


15-2-16

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15-2-16

पृ. क्रमांक 1559 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2016
प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, मण्डल रायपुर/दुर्ग/अम्बिकापुर/बिलासपुर/कोण्डागांव/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड(सिविल/मैकेनिकल) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


15-2-16

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़, नया रायपुर